सं०सं०:–भवन–03 / स्था०विविध–36 / 2026..... /

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक–

विषय :– भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों तथा अन्य विभागों में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक / विद्युत / यांत्रिक) के सेवा सम्पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग अन्तर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना की विज्ञापन संख्या–01 / 2019 के तहत अनुशंसित एवं भवन निर्माण विभाग में नियुक्त कनीय अभियंताओं, जो सेवा सम्पुष्टि हेतु अहर्ता प्राप्त कर लिये हैं, के सेवा सम्पुष्टि पर नियमानुसार विचार किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2160 दिनांक–05.02.2025 द्वारा अधिसूचित "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025" की कंडिका–3(1)(i) एवं 3(2)(i) में परिवीक्षा अवधि के संबंध में क्रमशः निम्न प्रावधान है :–

"आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी, जिस तिथि को इनके द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जायेगा।

सेवा सम्पुष्टि पर विचार किये जाने के निमित्त कनीय अभियंताओं के निम्न अभिलेख एवं प्रमाण–पत्रों वांछनीय है :–

1. अद्यतन प्रविष्टि के साथ सेवापुस्त के सभी पृष्ठों का अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षाओं में उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. प्रवेशकालीन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के संबंधित बोर्ड / संस्थान / कार्यालय से कराये गये सत्यापन संबंधी घोषणा / सम्पुष्टि का अग्रसारण पत्र में उल्लेख करते हुये प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदनों का अभिप्रमाणित छायाप्रति।

कृ०पृ०उ०....

विदित हो कि कतिपय कनीय अभियंता प्रतिनियुक्ति के आधार पर वाह्य विभागों/निगम में पदस्थापित है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं को क्रमशः विभागीय आदेश संख्या–10363(भ) दिनांक–02.11.2026 एवं आदेश संख्या–10364(भ) दिनांक–02.11.2026 द्वारा HRMS On-boarding, नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति के बीच की अवधि का लंबित वेतन भुगतान, सेवापुस्त आदि खोलने के निमित्त अस्थायी रूप से उनकी सेवा विभाग में वापस लिया गया है।

अतएव अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदस्थापित वैसे कनीय अभियंता जिनके द्वारा सेवा सम्पुष्टि हेतु परिवीक्षा अवधि पूर्ण की जा चुकी है तथा उक्त सभी अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, वैसे सभी कनीय अभियंताओं की सेवा सम्पुष्टि हेतु अनुशंसा सक्षम प्राधिकार के माध्यम से उपर्युक्त सभी अभिलेखों के साथ विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(अवधेश नंदन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03/स्था०विविध–36/2026.....पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना एवं संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03/स्था०विविध–36/2026.....10493(भ).....पटना, दिनांक– 5/11/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05.11.26

सरकार के संयुक्त सचिव।